

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर

F14 (Water)2017/ FCA/ CCF III Jaipur Dated 6.3.2019

**EXECUTIVE ENGINEER PHED Rajgarh, Alwar,** द्वारा Rural Water Supply Scheme Sonkhri कार्य हेतु अलवर जिला / वनमंडल अलवर की कुल 0.05 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/15016/2015 दिनांक 19.11.2015 को ऑनलाईन रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा प्रस्ताव में संशोधित सूचना भेजे जाने के उपरांत प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट है :-

**A- Compliance of EDS Dated 5-10-2018 is awaited:**

1. बिन्दु संख्या 2 की पालना के क्रम में संशोधित एरिया केलकुलेशन शीट संलग्न कर दी गई है किन्तु हार्ड प्रति में पुरानी शीट हटाई नहीं गई है एवं इस पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
2. बिन्दु संख्या 3 की पालना में उप वन संरक्षक अलवर द्वारा पार्ट II में संशोधन कर दिया गया है किन्तु हार्ड प्रति में पुरानी प्रति हटाई नहीं गई है।
3. बिन्दु संख्या 4 की पालना में उप वन संरक्षक अलवर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हार्ड प्रति के साथ संलग्न की गई है किन्तु इसे ऑनलाईन नहीं किया गया है।
4. बिन्दु संख्या 5 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक अलवर द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की KML file संलग्न की गई है किन्तु पार्ट II में दर्शाया गया क्षेत्रफल 0.05 के स्थान पर 0.6341 है० है अतः संशोधित KML file, GT Sheet & DGPS map संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना श्रमिक दर 201.00 पर आधारित है जिसे श्रमिक दर 213.00 पर किया जाकर संशोधित योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है
5. बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक अलवर द्वारा संशोधित एन०पी०वी० प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है किन्तु हार्ड प्रति में पुराना हटाया नहीं गया है।
6. बिन्दु संख्या 7 की पालना में उप वन संरक्षक अलवर द्वारा हार्ड प्रति में प्रति हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है अतः कुल 3 हार्ड प्रति (एक प्रति मूल) की ओर आवयश्कता रहेगी।

अतः उक्तानुसार पायी गयी कमियों / टिप्पणियों की पूर्ति कराने हेतु मुख्य वन संरक्षक को ऑनलाईन जबाब भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

*D.K. Gupta*  
(D.K. GUPTA)  
ACF (FCA)  
JAIPUR